

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

शोयाल बनाम श्रीमती जाम्नीदेवी (बर्गर)

केसम मुकदमा प्र.पत्रा द्वारा 111-128 नं० 99 सन 2024

क्रं	हुकम या कार्यवाही मय इतिशायल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तामील में जारी हुए
1-24 145 24	<p>वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 14.5.24 को पेश हो ।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p> <p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामील होकर रजिस्ट्र एडीसे प्राप्त हुए जिले शाह पठ किया गया। विपक्षीगण की कितनी बार कक-कक कर आवाणे डिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके बिकर एक तरफा कार्यवाही बिये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय सुपडसे लिखा जाकर शाह पठ किया गया। पत्रावली फेदक शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	



नारीख
जो इस
ने तामील
नारी हुए

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 99/24 प्रा.पत्र

1- श्री गोपाल लाल कोला कुम्हार गिवासी - लेबर कॉलोनी भीलवाडा तहसीलवाडा

-प्राथी

बनाम

1- श्रीमती बाबादेवी लाल बालु गुर्जर निवासी - ठगो का शेडा तहसील - गीखताडा (कोरा)
(सुवहंकिट प्रा.पत्र संलग्न)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 14.5.24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गाडीरवेडा पटवार हल्का मेजा तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 882/760 कुल किता 01 रकबा 1.7958 हेक्टर पर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.4.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कच्चे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गाडीरवेडा पटवार हल्का मेजा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 882/760 कुल किता 0.1 रकबा 1.7958 हेक्टर पर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक मेजा को 800 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कच्चे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल